अपील सूचना अधिकार संख्या 93/2020 (GCMS 2020/00164) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

08.02.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 25.06.2020 से 09 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना उसे दिलवाये जाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आपके कार्यालय को लिखे पत्रांक 25088–90 दिनांक 30.09.2015 की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. सम्भागीय आयुक्त बीकानेर का पत्रांक प.9 ( )स.आ.की./लो.स.चु.–2014/विविध/511 दिनांक 10.08.2015 व पत्रांक 751 दिनांक 24.09.2016 की सूचना व प्रमाणित प्रति जो पत्रांक 25688–90 दिनांक 30.09.2015 के साथ संलग्न है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 93 / 2020

3. जिला निर्वाचन कार्यालय श्रीगंगानगर का पत्रांक 23197 दिनांक 13.08.15 की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पत्रांक 25088—90 दिनांक 30.05.2015 के पत्र प्राप्ति की प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना प्रमाणित प्रति।
5. इस पत्रांक पर आपके कार्यालय द्वारा जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
6. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार एवं अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. कार्यालय जिला कलक्टर(सतर्कता), श्रीगंगानगर का पत्रांक 2493 दिनांक 18.07.2016 की आपके कार्यालय में प्राप्ति की दिनांक की सूचना व पत्र प्राप्ति क्रमांक की सूचना।
8. पत्र प्राप्ति से दिनांक 04.05.2020 तक इस पत्रांक पर जो—जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. पत्रांक में अकितं लोकसभा चुनाव प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने श्री मलकियत सिंह, सचिव नगर परिषद जाचं अधिकारी द्वारा जाचं न करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2020 / 1156 दिनांक 14.09.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय में प्रथम अपील दिनांक 20.08.2020 को की गयी है जबकि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम अपील श्रीमान जी को न्यायालय में पेश की है वह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 तक इस कार्यालय में पेश ही नही किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपील पेश की गयी है कृपया अपील को निरस्त कर दाखित दफतर करने की कृपा करें।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2020 का लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 08.09.2020 तक प्राप्त ही नही हुआ था। जबकि प्रार्थी ने यह प्रथम अपील दिनांक 20.08.2020 को इस न्यायालय में पेश की थी और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पेश करने की दिनांक से 30 दिवस बाद ही प्रार्थी अपील पेश कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व अपील पेश करने के कारण सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए यह अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर